प्रेस–विज्ञप्ति (30.03.2012)

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बजट पर हुये सामान्य वाद–विवाद का उत्तर देते समय आज निम्नलिखित घोषणाएं कीः–

- आगामी वर्ष, बजट भाषण में की गई घोषणा के अतिरिक्त, 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय एवं 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।
- प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र, छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख ऐसे छात्र, छात्राओं को, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, को 500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृति देने की मैं घोषणा करता हूँ। यह छात्रवृति 5 वर्ष की अवधि अथवा उच्च तथा तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।
- संस्कृत शिक्षा विभाग के कॉलेज व्याख्याताओं को यू.जी.सी. वेतनमान के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत करना प्रस्तावित है।
- सीकर जिले के 3 कस्बों और 283 गाँवों को लाभांवित करने हेतु नाबार्ड एवं NRDWP (National Rural Drinking Water Programme) के सहयोग से 832 करोड़ रुपये लागत की फतेहपुर–लक्ष्मणगढ़ पेयजल योजना के कार्य आगामी वर्ष में हाथ में लिए जायेंगे।
- बाड़मेर लिफ्ट योजना के द्वितीय क्लस्टर योजना के तहत 125 करोड़ रुपये की लागत से बाड़मेर आउटलेट से 68 गाँवों को लाभान्वित करने की पेयजल योजना का कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- बीसलपुर दूदू परियोजना के अन्तर्गत सूरजपुरा में अतिरिक्त माँग के अनुरूप 90 करोड़ रुपये की लागत से 200 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट के निर्माण की पेयजल परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।
- नर्बदा से जालोर शहर को लाभान्वित करने की 58 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना का कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ किया जायेगा।
- इंदिरा गाँधी नहर से माणकलाव–दांतिवाड़ा परियोजना के तृतीय भाग के अन्तर्गत 74 करोड़ रुपये की लागत से पीपाड़ शहर एवं 32 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु आगामी वर्ष कार्य हाथ में लिए जायेंगे।
- आगामी वर्ष 11 करोड़ रुपये की लागत से गढ़ी–सेमलिया, मोटी बस्सी कुण्ड, तलवाड़ा की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- राज्य से बाहर व्यर्थ बह कर जाने वाले पानी को रोक कर राज्य में ही उपयोग हेतु डूंगरपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर 7 एनीकटों का 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाना प्रस्तावित है।
- डूंगरपुर जिले में वारन्दा लघु सिंचाई परियोजना का 6 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाना प्रस्तावित है, जिससे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 300 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- माही परियोजना की निठाऊवा वितरिका से गमेलों माइनर का निर्माण करवाना प्रस्तावित है, जिससे डूंगरपुर जिले में जनजाति क्षेत्र में 165 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- धौलपुर जिले के बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में 23 करोड़ रुपये की लागत से 4 एनीकटों का निर्माण करवाना प्रस्तावित है, ताकि जिले से व्यर्थ बह कर जाने वाले पानी को रोका जा सके तथा एनीकटों का उपयोग पेयजल तथा भू–जल पुनर्भरण किया जा सकेगा।
- बेणेश्वर धाम जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में नहर को कवर करवाया जायेगा।

- जालोर दुर्ग, राज्य की धरोहर है तथा एक संरक्षित स्मारक है। बजट में घोषित विभिन्न प्राचीन एवं धार्मिक महत्त्व के स्थानों के विकास के साथ–साथ जालोर दुर्ग क्षेत्र के विकास पर भी 50 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।
- सावर–केकड़ी में लगभग 33 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 150 मार्बल माइन्स चालू हैं। इन खानों से निकलने वाले अपशिष्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के विकास पर आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये खर्च करना प्रस्तावित है।
- बजट में घोषित तहसीलों के अतिरिक्त पाँच उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिनमें भनियाना–जैसलमेर, चिकली–डूंगरपुर, असनावर–झालावाड़ एवं पुष्कर तथा रूपनगढ़–अजमेर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सुरोठ–करौली, राजियासर–श्रीगंगानगर, आँधी–जयपुर एवं पाटन–सीकर में नई उप तहसीलें स्थापित की जायेंगी।
- कृषकों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से निर्धारित समर्थन मूल्य पर प्रदेश में गेहूँ की खरीद की जाती है। चालू वर्ष में प्रदेश में लगभग 13.5 लाख मैट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई। आगामी वर्ष हेतु राष्ट्रीय खाद्य निगम (FCI-Food Corporation of India) द्वारा 15 लाख मैट्रिक टन गेहूँ की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से गेहूँ की खरीद पर बोनस का भुगतान किया जायेगा। इस पेटे राज्य सरकार 150 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी।
- मैंने बजट में प्रसंस्करण इकाइयों (Processing Units) की, कृषकों के स्वयं के खेतों पर, स्थापना हेतु पूंजीगत निवेश पर अनुदान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 2 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित किया था। अब मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस योजना का दायरा और बढ़ाते हुए यह योजना उद्यानिकी (horticulture) उत्पादों एवं पारम्परिक फसलों के साथ–साथ cash crops जिसमें मसाले भी शामिल हैं, के लिए भी लागू की जायेगी। इस हेतु इस योजना के लिए आगामी वर्ष प्रावधान 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ।
- अलवर जिले की कोटकासिम तहसील में, अनुदानित केरोसीन का लाभ सीधे ही लाभार्थियों को दिलवाने की उद्देश्य से, 'Cash Subsidy आधारित पायलट प्रोजेक्ट' क्रियान्वित किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए केन्द्र सरकार के सहयोग से, इस योजना का चरणबद्धरूप से प्रदेश में, विस्तार करना प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार द्वारा 'अपना खेत अपना काम' योजना हेतु सर्वे कराकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. कृषकों के खेतों पर नरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से 27 लाख पात्र परिवारों के खेतों पर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा 1.50 लाख रुपये राशि तक के कार्य कराये जा सकेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 1 हजार 270 करोड़ रुपये होगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों एवं पात्र कृषकों का आवाहन किया गया है कि समस्त सम्बन्धित इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में सहयोग करें।
- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विभाग का सुदृढ़ीकरण करते हुए विभिन्न स्तरों के 848 अतिरिक्त पद सृजित करना प्रस्तावित है।
- मैंने बजट में राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का उल्लेख किया था। अब मैं इस लक्ष्य को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित करता हूँ।
- कृषि क्षेत्र में उत्पादन का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, जिसका निरंतर कम होना चिन्ता का विषय है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के संरक्षण एवं सुधार हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अन्तर्गत विशेष ''पैकेज ऑफ प्रेक्टिस'' विकसित करने के उद्देश्य से **मृदा सुधार टास्क फोर्स** का गठन किया जायेगा।
- राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणी के नियत अवधि हेतु दण्डित ऐसे बन्दियों की शेष सजा माफ कर उन्हें समय पूर्व रिहा किया जाना प्रस्तावित है जोः–

- कैन्सर, एड्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित हों, अथवा
- अन्धे व विकलांग बंदी जो अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिये पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हों, अथवा
- 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष एवं 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला बंदी, जिन्होंने कम से कम एक तिहाई सजा भुगत ली हो, अथवा
- ऐसे बंदी जिन्होंने दो तिहाई अवधि की सजा भुगत ली हो।

इसके साथ ही उपरोक्त सभी श्रेणियों में केवल ऐसे बंदी ही रिहा किये जायेंगे जिन्हें प्रतिबन्धित मामलों अथवा प्रतिबन्धित धाराओं में दण्डित नहीं किया गया हो।

- कतिपय राजकीय सेवाओं (Subordinate/Ministeial/ Class IV जो RPSC के purview में नहीं है) में उत्कृष्ट खिलाडियों हेतु भर्ती में 2 प्रतिशत आरक्षण है, किन्तु उत्कृष्ट खिलाड़ी की परिभाषा में अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता ही सम्मिलित होने से नगण्य खिलाड़ियों को इस प्रावधान का लाभ होता है। नौजवानों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु इन सेवाओं में खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों में राष्ट्रीय स्तर की खेल–कूद प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को भी पात्र करने की घोषणा करता हूँ।
- वर्तमान में खिलाड़ियों को राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में 100 रुपये तथा राज्य के बाहर हो रही प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 150 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाता है। बढ़ी हुई कीमतों के परिप्रेक्ष्य में इसे दो गुना बढ़ाया जाकर राज्य के भीतर 200 रुपये तथा राज्य बाहर 300 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
- मैंने प्रत्येक बजट में प्रक्रिया का सरलीकरण करने का प्रयास करते हुए इस संबंध में उद्योग एवं व्यापार जगत के सुझावों पर भी अमल किया है। इसी कड़ी में व्यापार संघो द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपित की जाने वाली लेट फीस की राशि को कम करने की मांग की गयी है। अतः मैं प्रतिमाह या उसके भाग पर कर जमा कराने वाले व्यवहारियों पर आरोपित होने वाली लेट फीस की राशि को 500 रुपये प्रतिदिन से घटा कर 100 रुपये प्रतिदिन किये जाने की घोषणा करता हूँ।
- राज्य सरकार की Affordable Housing Policy-2009 के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS - Economically Weaker Section) एवं अल्प आय वर्ग (LIG - Low Income Group) के लिये आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। कम लागत पर अधिक आवासों का निर्माण सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन आवासों के निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री पर वसूले जाने वाले VAT का पुनर्भुगतान (Reimbursement) करने का भी निर्णय लिया गया है। पुनर्भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु एक समिति का गठन प्रस्तावित है।
- इस योजना में और अधिक राहत देने के लिये Affordable Housing Policy-2009 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये 750 रुपये प्रतिवर्ग फीट के अधिकतम मूल्य वाले आवासों के निर्माण के क्रम में देय संकर्म संविदा (वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट) पर आरोपित होने वाले कर से मुक्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही ऐसे भवनों के निर्माण संबंधी कॉन्ट्रेक्ट्स में TDS (Tax Deduction at Source) की कटौती भी नहीं की जायेगी।
- टैक्स सैटलमैण्ट बोर्ड में देय आवेदन शुल्क में कमी करना प्रस्तावित है। अब यह शुल्क विवादित राशि का 1 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रुपये होगा।
- इसी क्रम में सर्राफा एवं जैम स्टोन कम्पोजिशन स्कीम में गत वर्ष में जमा कम्पोजिशन राशि से कम राशि नही होने संबंधी प्रावधानों में भी संशोधन की मांग की गयी है। अतः इन स्कीम में संशोधन प्रस्तावित है।
- उद्योग एवं व्यापार जगत द्वारा यार्न पर लगाये गये प्रवेश कर के संबंध में संशोधन की मांग की गयी है। अतः पोलियेस्टर विस्कोस यार्न (पी.वी. यार्न) को छोड़ते हुए समस्त प्रकार के यार्न को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित है।
- इसके अतिरिक्त राज्य में सहकारिता आन्दोलन को सशक्त करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग (Spinfed) द्वारा संचालित मिलों को कॉटन के क्रय पर लगने वाले वैट से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।